

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनकरण हेतु
आवेदन विवरण पुस्तिका

वर्ष 2026-27 व 2027-28



मूल्य ₹ 1000/-

एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

आवेदन पत्र का क्रमांक

मूल्य ₹ 1000/-

1. नाम/फर्म_____
2. पूरा पता_____
- मो0 नं0_____ फोन नं0_____
3. स्वामित्व/पार्टनरशिप (प्रति संलग्न करें) (संलग्न-1)
4. वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र (संलग्न-2)
5. पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान का पता। (संलग्न-3)
6. दो नवीनतम प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की)
7. आयकर विभाग से पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति एवं बैलेस शीट, पैन कार्ड की छायाप्रति। (संलग्न-4)
8. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की छायाप्रति (संलग्न-5)
9. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। (संलग्न-6)
10. पिछले चार वर्षों में किये गये निर्माण/विकास कार्यों के विवरण की सूची। (संलग्न-7)
11. पार्टनरशिप फर्म के लिए फर्म ऑफ सोसायटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न-8)
12. विद्युत कार्य के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशक, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत श्रेणी-‘क’ अनुमोदित लाइसेन्स प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न-9)
13. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रस्तुत किये गये अभिलेख यदि असत्य पाये जाते हैं तो फर्म के पंजीकरण को निरस्त करते हुए विभाग विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। (संलग्न-10)

नवीनतम सत्यापित
पासपोर्ट साइज का
फोटोग्राफ
(सभी भागीदारों के)



नमूना हस्ताक्षर

नमूना हस्ताक्षर

नमूना हस्ताक्षर

नमूना हस्ताक्षर

नाम_____

नाम_____

नाम_____

नाम_____

पता_____

पता_____

पता_____

पता_____

पैन कार्ड नं0_____

पैन कार्ड नं0_____

पैन कार्ड नं0_____

पैन कार्ड नं0_____

ई-मेल_____

ई-मेल_____

ई-मेल_____

ई-मेल_____

मोबाईल नं0_____

मोबाईल नं0_____

मोबाईल नं0_____

मोबाईल नं0_____

लैण्डलाइन नं0_____

लैण्डलाइन नं0_____

लैण्डलाइन नं0_____

लैण्डलाइन नं0_____

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें

1. निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। "विशिष्ट श्रेणी" के कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे परन्तु अपंजीकृत ठेकेदार के सफल निविदादाता होने की स्थिति में अनुबन्ध से पूर्व उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसी फर्म द्वारा कार्य विशेष हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु निविदा डालने पर प्रबन्ध निदेशक /अधिकृत निदेशक से सम्बन्धित पंजीकरण की समस्त औपचारिकताएं दो माह के अन्दर पूर्ण कराते हुए फर्म का पंजीकरण कर लिया जाये। सभी पार्टनर/डायरेक्टर के चरित्र प्रमाण पत्र न होने की दशा में निदेशक, इस आशय का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि निदेशक मण्डल में कोई निदेशक अपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है एवं किसी के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में क्रिमिनल केस विचाराधीन नहीं है एवं एक निश्चित अवधि (अधिकतम 3 माह) में सभी के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।
2. निर्माण कार्यों पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।
3. निर्माण कार्यों पर निविदा में दिये गये विवरण के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि मशीनरी स्थल पर नहीं लायी जाती है तो मशीनरी का किराया जैसा कि निविदा प्रपत्र में विहित हो, बिल से काटा जायेगा।
4. ठेकेदारों को ₹0 10.00 लाख तक के कार्यों में 2% धनराशि अथवा जैसा भी निविदा सूचना में अंकित हो, के अनुसार धरोहर धनराशि जमा करानी होगी।
5. ठेकेदारों को ₹0 10.00 लाख से ऊपर के कार्यों हेतु ई-निविदा शर्तों के अनुरूप धरोहर धनराशि जमा करानी होगी।
6. चलित देयकों से 10% की दर से अथवा निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार जमानत राशि काटी जायेगी।
7. पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार उपाध्यक्ष/ सचिव/मुख्य अभियन्ता/अभियन्त्रण अनुभाग में पदस्थ वरिष्ठतम अभियन्ता को होगा।
8. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार /ब्लड-रिलेशन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन का अर्थ पिता, माँ भाई-बहन, चाचा ताऊ, बेटा व पत्नी इत्यादि से है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

9. किसी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण जिसने प्राधिकरण में सर्विस की हो, प्राधिकरण में सर्विस समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही किया जायेगा।
10. निविदा मूल्य निम्न प्रकार अथवा भविष्य में संशोधन की स्थिति में तदनुसार देय होगा :

कार्य की अनुमादित लागत	निविदा मूल्य
₹ 2.00 लाख तक	₹ 700 +GST
₹ 2.00 लाख से 5.00 लाख तक	₹ 1100 +GST
₹ 5.00 लाख से 10.00 लाख तक	₹ 1550 +GST
₹ 10.00 लाख से 50.00 लाख तक	₹ 2550 +GST
₹ 50.00 लाख से 1.00 करोड़ तक	₹ 4050 +GST
₹ 1.00 करोड़ से 2.00 करोड़ तक	₹ 6100 +GST
₹ 2.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक	₹ 11100+GST
₹ 5.00 करोड़ से अधिक	₹ 15300+GST

11. हैसियत प्रमाण पत्र परिशिष्ट-1 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर देना होगा।
12. आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं वर्तमान निवास स्थान के पते की फोटो प्रति सत्यापित कराकर देना होगा।
13. प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी से प्रमाणित होनी चाहिए।
14. विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत जो कोई एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा।
15. ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ रु 100/- का स्टाम्प पेपर पर मानक भाषा में हस्ताक्षर कर संलग्न किया जायेगा, जिस पर ठेकेदार द्वारा यह अन्डरटेकिंग दी जायेगी कि निविदा की दरें वैधता अवधि 90 दिन में वापिस नहीं ली जायेंगी तथा यदि निर्धारित वैधता अवधि में निविदा की दरें वापिस ली जाती है, उस स्थिति में निविदा के साथ संलग्न धरोहर राशि (100%) जब्त कर ली जायेगी।
16. पंजीकरण शुल्क संलग्न परिशिष्ट संख्या-1 के अनुसार देय होगा जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा।
17. वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार सचिव/मुख्य अभियन्ता/अभियंत्रण अनुभाग में पदस्थ वरिष्ठतम अभियन्ता को सुरक्षित होगा।

18. पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण रखता है।
19. पंजीकृत ठेकेदारों के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी समय – समय पर जारी किये गये आदेश मानने होंगे।
20. क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैण्ड एवं गत चार वर्षों में किये गये कार्यों के विवरण संलग्न प्रारूप में देना होगा। जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
21. जमानत राशि निर्माण/विकास कार्य के संतोषजनक पूरा होने अथवा अन्तिम भुगतान जो भी बाद में हो, के 12 माह बाद वापिस की जायेगी।
22. ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेंस शीट देनी होगी।
23. (क) सुपर 'A' श्रेणी के पंजीकरण हेतु ठेकेदारों को उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कम से कम चार वर्षों में लगातार कार्य करने का रू० 500.00 लाख के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का विवरण देना आवश्यक होगा।
(ख) 'A' श्रेणी के पंजीकरण हेतु ठेकेदारों को उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कम से कम चार वर्षों में लगातार कार्य करने का रू० 200.00 लाख के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का विवरण देना आवश्यक होगा।
(ग) 'B' श्रेणी के पंजीकरण हेतु ठेकेदारों को उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कम से कम चार वर्षों में लगातार कार्य करने का रू० 50.00 लाख के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का विवरण देना आवश्यक होगा।
(घ) 'C' श्रेणी के पंजीकरण हेतु ठेकेदारों को उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कम से कम चार वर्षों में लगातार कार्य करने का रू० 25.00 लाख के कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का विवरण देना आवश्यक होगा।
(ङ) प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों का नवीनीकरण किये जाने या आगे की अवधि हेतु वैधता बढ़ाने के लिए फर्म को गत वर्ष में किये गये कार्यों निर्माण/विकास कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग का विवरण प्रस्तुत कराना होगा।

- (6) आवेदन फार्म के साथ ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करायी जायेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

नोट :- उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग/ राजकीय संस्थाओं/ पब्लिक/ (PSU) के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, जिसकी आवश्यकतानुसार पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेखानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो सभी श्रेणी के फर्मों पर मान्य होगी।

24. प्राधिकरण में ठेकदारी फर्मों का पंजीकरण दो वर्ष के लिए किया जायेगा। पूर्व पंजीकृत ठेकदारों का नवीनीकरण आगामी दो वर्ष के लिए किया जायेगा, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं शपथ पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनः नवीन चरित्र प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।
25. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।
26. यदि कोई फर्म किन्हीं कारणों से प्राधिकरण द्वारा ब्लैकलिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी स्वतः ब्लैकलिस्ट हो जायेगी।
27. बी0ई0/बी0टेक (सिविल) एवं समकक्ष डिग्रीधारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के "बी" श्रेणी में किया जा सकता है।
28. डिप्लोमाधारी सिविल के अभ्यार्थियों हेतु पंजीकरण "सी" श्रेणी में बिना किसी अनुभव के किया जा सकता है।
29. विद्युतीकरण के कार्यों में पंजीकरण हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर शासन द्वारा निर्गत "क" श्रेणी अनुमोदित विद्युत लाइसेन्स संलग्न करना होगा। "क" श्रेणी अनुमोदित विद्युत लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त हो जाने पर पुनः नवीन "क" श्रेणी अनुमोदित लाइसेंस की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा।
30. एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोपराइटर अथवा साझीदार हो सकता है।

31. ₹ 1.00 लाख से अधिक अथवा जैसा भी प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाये, की धनराशि के कार्य की ई-निविदा के माध्यम से, जिसमें ₹10.00 लाख से अधिक के कार्य की निविदा टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित की जायेगी।
32. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदारी के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबन्ध को उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
33. ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते हैं, को भी कोई ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
34. किसी भी ठेकेदार को ठेका दे दिये जाने के बाद भी यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा अन्य सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है अथवा यह पाया जाता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, परन्तु निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।
35. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
36. उक्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार गाजियाबाद स्थित न्यायालय का होगा।
37. यदि किसी फर्म/ठेकेदार/कम्पनी द्वारा वाँछित प्रपत्रों हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव आदि के रूप में कोई असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुये पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा जिसमें उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
38. अन्य प्रान्तों के निवासित ठेकेदार/फर्म कम्पनी द्वारा प्रपत्र हैसियत, चरित्र व निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रपत्रों में प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रदाता अधिकारी ही इस राज्य में सक्षम है।
39. निर्धारित अवधि में पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क नहीं जमा कराने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

परिशिष्ट संख्या-1

सिविल/विद्युत कार्यो हेतु क्षमता, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं हैसियत

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता (₹ में)	पंजीकरण शुल्क दो वर्ष हेतु (₹ में)	नवीनीकरण शुल्क दो वर्ष हेतु (₹ में)	हैसियत प्रमाण पत्र (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सुपर "ए"	2.00 करोड़ से उपर	60,000/-	20,000/-	50.00 लाख
"ए"	50.00 लाख से 2.00 करोड़ तक	30,000/-	10,000/-	40.00 लाख
"बी"	25.00 लाख से 50.00 लाख तक	18,000/-	6,000/-	12.50 लाख
"सी"	10.00 लाख से 25.00 लाख तक	12,000/-	4,000/-	6.25 लाख
"डी"	10.00 लाख तक	6,000/-	2,000/-	2.50 लाख

शपथ—पत्र

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :—

1.
2.
3. यह कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद में मेरे द्वारा.....श्रेणी
में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ जो प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं वे सभी सत्य एवं
वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं यदि इनमें कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे/ हमारे पंजीकरण/ नवीकरण को निरस्त कर देने एवं
पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जमा की गई धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. यह कि यदि उक्त पंजीकरण / नवीनीकरण के पश्चात यदि प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य मुझे
आवंटित किया जाता है तथा कार्य आवंटन के पश्चात भी, यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है
तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने तथा प्रश्नगत
कार्य हेतु जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए कार्य का आवंटन निरस्त करने एवं शेष कार्य मेरे
हर्जे खर्चे पर कराये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई
वाद दायर नहीं किया जायेगा।

क्र.	विभाग / खण्ड का नाम	कार्य का नाम	पिछले चार वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण				वर्क इन हैण्ड का विवरण			टिप्पणी
			कार्य का मूल्य	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि अनुबन्ध/ वास्तविक के अनुसार		कार्य का मूल्य	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

I.S.O. 9001-2015 एवं I.S.O. 14001-2015 प्रमाणित संस्था
विकास पथ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन न.: 0120-4418384 एस.एम.एस.: 9990988004

ई-मेल : helplinegda@gmail.com  : Gda Ghaziabad  : @gdagzb

website : gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प